पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ : 01 जनवरी, 2019

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :–

उ0प्र0 पुलिस विभाग एवं अग्निशमन सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को कर्तव्य पालन के दौरान घटित घटना में अपंग होने पर अनुग्रह आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग एवं अग्निशमन सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को कर्तव्य पालन के दौरान घटित घटना में अपंग होने पर अनुग्रह आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

इसके अन्तर्गत कर्तव्य पालन के समय प्रदेश के अन्दर या बाहर आतंकवादी/अराजक तत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा/मुठभेड़ के फलस्वरूप पुलिसकर्मियों के अपंग/दिव्यांग होने पर एवं अग्निशमन सेवा के कर्मियों के राहत एवं बचाव कार्य के दौरान अपंग/दिव्यांग होने पर, 80 से 100 प्रतिशत तक की दिव्यांगता के लिए 20 लाख रुपये की अनुग्रह धनराशि, 70 से 79 प्रतिशत तक की दिव्यांगता की स्थिति में 15 लाख रुपये की अनुग्रह धनराशि तथा 50 से 69 प्रतिशत तक दिव्यांगता की स्थिति में 10 लाख रुपये की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है।

अनुग्रह आर्थिक सहायता धनराशि की स्वीकृति/वितरण के लिए तीन शर्तें प्राविधानित हैं। एक, घटित घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित हो। दो, अपंग/दिव्यांग होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र सक्षम चिकित्सा अधिकारी से निर्गत हो, जिसमें स्पष्ट रूप से दिव्यांगता प्रतिशत अंकित किया गया हो। तीन, उत्तर

प्रदेश पुलिस विभाग एवं अग्निशमन सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को कर्तव्य पालन के दौरान घटित घटना में अपंग होने की स्थिति में यदि सेवानिवृत्त किया जाता है, तो प्रश्नगत अनुग्रह आर्थिक सहायता सेवानिवृत्तिक लाभ के अतिरिक्त होगी।

इन निर्धारित सीमाओं में विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार छूट दी जा सकती है, किन्तु किसी प्रकार की छूट अथवा निर्धारित की गयी सीमाओं को शिथिल करने से पूर्व शासन के गृह विभाग से उच्चादेश प्राप्त करना आवश्यक होगा।

ज्ञातव्य है कि पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर अथवा कर्तव्यपालन की अवधि में दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुग्रह आर्थिक सहायता दिये जाने की नीति है, परन्तु उत्तर प्रदेश, पुलिस विभाग एवं अग्निशमन सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को कर्तव्य पालन के दौरान घटित घटना/दुर्घटना में अपंग/दिव्यांग हो जाने की स्थिति में शासन स्तर से कोई अनुग्रह आर्थिक सहायता दिये जाने की नीति नहीं थी।

————————

भ्रष्टाचार निवारण व उन्मूलन के उद्देश्य से उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान के 10 सेक्टर्स/इकाइयों को थाना घोषित किये जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने भ्रष्टाचार निवारण व उन्मूलन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के सुदृढ़ीकरण एवं अभिनवीकरण के लिए उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के 10 सेक्टर्स/इकाइयों को थाना घोषित किये जाने का निर्णय लिया है।

इसके अन्तर्गत, सेक्टर्स/इकाइयों के पुलिस अधीक्षकों के कार्यालयों को थाना घोषित किया गया है। कार्यालय पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ सेक्टर के अन्तर्गत लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, उन्नाव जिले आएंगे। इसी प्रकार, कार्यालय पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश अधिष्ठान, अयोध्या सेक्टर के अन्तर्गत अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, गोण्डा, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी जनपद, गोरखपुर सेक्टर के अन्तर्गत गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, सन्तकबीर नगर, महराजगंज, मऊ, आजमगढ़ जनपद आएंगे।

वाराणसी सेक्टर के अन्तर्गत वाराणसी, मिर्जापुर, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, भदोही, चन्दौली, सोनभद्र जनपद, प्रयागराज सेक्टर के अन्तर्गत प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ जनपद, कानपुर सेक्टर के अन्तर्गत कानपुर, इटावा, कानपुर देहात, कन्नौज, औरैया, फर्रूखाबाद जनपद, झांसी सेक्टर के अन्तर्गत झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा जनपद, आगरा सेक्टर के अन्तर्गत आगरा, एटा, अलीगढ़, मैनपुरी, मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस, कासगंज जनपद, बरेली सेक्टर के अन्तर्गत बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, सम्भल जनपद तथा मेरठ सेक्टर के अन्तर्गत मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, बागपत, हापुड़, शामली जनपद आएंगे।

ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सतर्कता विभाग की 11 फरवरी, 1965 की विज्ञप्ति द्वारा सतर्कता निदेशालय को उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के रूप में अपराधों के अनुसंधान हेतु गठित किया गया है। अधिष्ठान द्वारा विभिन्न भ्रष्टाचार निवारण अधिनियमों के अन्तर्गत उल्लिखित अपराधों के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाती है।

अपराधों के सम्बन्ध में ट्रैप की कार्यवाई लोकसेवक के विरूद्ध किए जाने के पूर्व, प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराते हुए अभियोग पंजीकृत कराया जाना विधिक रूप से आवश्यक है। वर्तमान में सतर्कता अधिष्ठान के सेक्टर्स को थाना घोषित न होने के कारण सम्बन्धित थाने में एफ0आई0आर0 कराने पर गोपनीयता भंग होने की सम्भावना रहती है।

अधिष्ठान के सेक्टर्स को थाना घोषित किये जाने से सामान्य थानों में जाकर एफ0आई0आर0 दर्ज कराने में लगने वाले समय में काफी कमी आएगी एवं साक्ष्य–संकलन हेतु थाना के अभिलेखों एवं साक्षियों के कथन आदि प्राप्त करने में अनावश्यक देरी नहीं होगी।

ट्रैप की कार्यवाईयों में गोपनीयता बनाए रखने तथा भ्रष्टाचार निवारण व उन्मूलन के उद्देश्य को सफल बनाए जाने हेतु सतर्कता अधिष्ठान के 10 सेक्टर्स/इकाईयों को थाना घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

————————

उ0प्र0 इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन लखनऊ में निदेशक/सचिव पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्गत कार्यकारी आदेश में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन लखनऊ में निदेशक/सचिव पद पर सीधी भर्ती हेतु शासनादेश दिनांक 22.12.2016 द्वारा निर्गत कार्यकारी आदेश में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

इसके अन्तर्गत, निदेशक/सचिव पद पर भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता में संशोधन किया गया है। इसके अन्तर्गत पूर्व में निर्धारित, विधि द्वारा स्थापित किसी ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिज़ाइन, शिल्प अथवा कला क्षेत्र में 20 वर्ष के कार्य अनुभव को संशोधित करके 15 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार पूर्व में निर्धारित, विज्ञापन की तिथि को आवेदक की अधिकतम आयु 57 वर्ष होनी चाहिए, को संशोधित करके विज्ञापन की तिथि को आवेदक की न्यूनतम आयु 45 वर्ष तथा अधिकतम आयु 55 वर्ष होनी चाहिए, किया गया है। साथ ही, पूर्ववर्ती चयन समिति को यथावत बनाये रखते हुए चयन समिति में महा निदेशक एन0आई0एफ0टी0 (निफ्ट), नई दिल्ली अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो प्रोफेसर से अन्यून हो, को भी विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन लखनऊ में निदेशक/सचिव तथा व्याख्याता के पदों पर भर्ती हेतु शासनादेश संख्या–2139/18–4–2016–6(विविध)/16, दिनांक 22.12.2016 द्वारा कार्यकारी आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त कार्यकारी आदेश के प्रस्तर–1 के उप प्रस्तर–3 में निदेशक/सचिव पद पर भर्ती हेतु अर्हता 'विधि द्वारा स्थापित किसी ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिज़ाइन, शिल्प अथवा कला क्षेत्र में 20 वर्ष का कार्य का अनुभव' निर्धारित किया गया है। निदेशक/सचिव के 01 पद (वेतनमान 37400–67000 रुपये ग्रेड पे–8700) पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के समक्ष दिनांक 10.03.2017 को बैठक/साक्षात्कार आयोजित किया गया था, जिसमें वांछित अनुभव के केवल 01

अभ्यर्थी के उपस्थित होने के कारण समिति द्वारा उक्त साक्षात्कार को निरस्त करते हुए उ0प्र0 इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, लखनऊ में निदेशक/सचिव पद के लिए निर्धारित अनुभव सम्बन्धी अर्हता में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

————————

उ0प्र0 के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति अनुमोदित

कृषि कार्य में मशीनीकरण के कारण स्वदेशी/अवर्णित गोवंश के नर वत्स का उपयोग कृषि कार्य में किये जाने की परिपाटी प्रदेश से लगभग समाप्त हो गयी है अतः नर गोवंश को पशु स्वामी बेसहारा छोड़ देते हैं। इसके अतिरिक्त ये निराश्रित गोवंश अनियंत्रित प्रजनन द्वारा अनुपयोगी/कम उत्पादकता के गोवंश की उत्पत्ति करते हैं जो निराश्रित पशुओं की संख्या में बढ़ोत्तरी करते हैं। ये निराश्रित पशु किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं तथा प्रदेश में निराश्रित/बेसहारा पशुओं के कारण मार्ग दुर्घटनायें बढ़ गयी हैं व जनहानि भी हो रही है। इस समस्या का युद्धस्तर पर समाधान समस्त शासकीय विभागों की संयुक्त सहभागिता से किए जाने का निर्णय लिया गया है।

इस समस्या के निराकरण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा नवीन प्रभावी नीति बनाई गई है जिसमें समस्त सबन्धित विभागों के सकिय सहयोग से प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों (यथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल (कभी भी संपूर्णतया हटाने योग्य) की स्थापना व संचालन का कार्य किया जायेगा।

उक्त आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश को पशुपालन विभाग की सेवायें उपलब्ध कराये जाने के साथ गोवंश से उत्पादित दूध, गोबर, कम्पोस्ट आदि के विक्रय व्यवस्था से आश्रय स्थल को वित्तीय रूप से स्वावलम्बी (self sustainable) बना कर जनमानस को निराश्रित/बेसहारा गोवंश की समस्या से छुटकारा दिलाया जायेगा।

अस्थायी आश्रय स्थलों की स्थापना हेतु वित्त पोषण की व्यवस्था मनरेगा, संबन्धित सुसंगत स्थानीय निकायों की संचित निधि (यथा–ग्राम पंचायत निधि/क्षेत्र पंचायत निधि/जिला पंचायत निधि, नगर निकायों की निधियॉ आदि), वित्त आयोग, खनिज विकास निधि, रायफल निधि, सांसद क्षेत्र विकास निधि, विधायक क्षेत्र विकास निधि आदि से करायी जायेगी। संरक्षित गोवंश के संचालन, प्रबन्धन व भरण–पोषण की व्यवस्था स्थानीय निकायों द्वारा यथासंभव अपने स्वयं के संसाधनों से की जायेगी। गोवंश के भरण–पोषण में निकायों में उपलब्ध संसाधनों में कमी के दृष्टिगत अतिरिक्त धन की आवश्यकता होने पर संबन्धित स्थानीय निकाय की मॉग पर शासन द्वारा इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि से वित्त पोषण किया जायेगा।

प्रत्येक जनपद में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम 1000 निराश्रित/बेसहारा गोवंश पशुओं के अस्थायी आश्रय निर्माण हेतु विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा सहयोग किया जायेगा। प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नगर निकाय/स्थानीय निकाय क्षेत्रों में पिंजरापोल, कॉजी हाउस का पुनर्जीवीकरण कराया जायेगा। इनमें केयर टेकर/पर्यवेक्षण अधिकारी की अस्थायी/स्थायी व्यवस्था की जायेगी। इस कार्य के क्रियान्वयन हेतु विकास खण्ड/तहसील एवं जनपद स्तर पर समिति का गठन किया गया है जो मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित स्टेट स्टेयरिंग कमेटी के निर्देशानुसार कार्य करेंगी।

पशुपालको/कृषकों के अपने पालतू पशु सड़कों व सार्वजनिक स्थलों तथा अन्य व्यक्तियों की निजी भूमि पर संचरण हेतु यदि छोड़ा जाता है, तो इस दृष्टिकोण से स्थानीय पुलिस प्रशासन/जिला प्रशासन तथा नगर प्रशासन द्वारा उचित आर्थिक दण्डारोपण की कार्यवाही सुसंगत अधिनियमों के अंतर्गत की जायेगी। अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना से बेसहारा/निराश्रित पशुओं की संख्या में कमी आने के कारण कृषि फसलों की क्षति में कमी आयेगी तथा बेसहारा/निराश्रित पशुओं से होने वाली सड़क दुर्घटना में भी कमी आयेगी।

राज्य सरकार द्वारा गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना, संचालन हेतु वित्तीय व्यवस्था अंतर्गत मण्डी परिषद की मण्डी शुल्क/सेस से प्राप्त होने वाली आय के 01 प्रतिशत को 02 प्रतिशत, आबकारी से प्राप्त होने वाले राजस्व के अतिरिक्त सेस लगाकर प्रदेश के लाभप्रद सार्वजनिक उद्यमों तथा निर्माणदायी संस्थान (यथा– राजकीय निर्माण निगम, सेतु निगम, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 आदि) को हाने वाले लाभ का 0.5 प्रतिशत, राज्य सरकार के अधीन यूपिडा आदि संस्थाओं द्वारा अधिरोपित किए जा रहे टोल टैक्स में 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि गो कल्याण सेस के रूप में अधिरोपित करते हुए इस प्रयोजन हेतु व्यय किया जाएगा। (समस्त मिट्टी का कार्य (earth work) मनरेगा से प्राप्त वित्त पोषण से तथा आवश्यकतानुसार विभागीय योजनाओं में प्राप्त वित्त पोषण से डवटेलिंग कराए जाने का निर्णय लिया गया है।)

————————

प्रदेश में जनपद स्तर पर 75 विशेषीकृत मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव अनुमोदित

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या–4215/2018 इनरी वैकेन्सीज इन द कैडर्स ऑफ जुडीशियल आफिसर्स बनाम चेयरमैन आफ यू0पी0 पब्लिक सर्विस व 07 अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.11.2018 में Moter Vehicles Act, 1988 की धारा–165 के अन्तर्गत मोटर दुर्घटना प्रतिकर विवादों के त्वरित निस्तारणार्थ जनपद स्तर पर विशेषीकृत मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण की स्थापना के सम्बन्ध में आदेश दिये गये है। उक्त आदेश के अनुपालन में प्रदेश में जनपद स्तर पर 75 विशेषीकृत मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण की स्थापना की जानी है।

———————

PN-CM-Cabinet-01 January, 2019.doc